प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –273/2023

अनवान : –

1. जयनारायण पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. उदमीराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. गोरीशंकर पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. सन्तलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. इन्द्राज पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 10.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 12.4190 हैक्ट भूमि में से 377/1129 हिस्सा एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के 14/16 की कुल 10.1180 हैक्ट एवं खाता स0 28/30 की कुल 15.1760 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भीयाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वादभूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2074–2077 रोही मौजा राणीसर खाता स0 28/30, 66/66, 14/16, प्रमाणित प्रतिलिपी मिसल बन्दोबंत सम्वत 2029–2038 रोही मौजा राणीसर, शपथ पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा आपसी राजीनामा/ जवाब इकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा पारिवारिक इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 12.4190 हैक्ट भूमि में से 377/1129 हिस्सा एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के 14/16 की कुल 10.1180 हैक्ट एवं खाता स0 28/30 की कुल 15.1760 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 14/16 में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर खाता स0 14/16 के ख0न0 27/3 की [illegible] हैक्ट भूमि व ख0न0 28/2 की 3.5790 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता [illegible] के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 307/2 की 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1.2650 हैकट भमि का प्रतिवादी स0 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 12.4190 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 377/1129 हिस्सा भूमि में से 3.795 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.352 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 28/30 की कुल 15.1760 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमी लन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –273 / 2023

अनवान : –

1. जयनारायण पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. उदमीराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. गोरीशंकर पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. सन्तलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. इन्द्राज पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 273 सन 2023 दिनाक 10.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 14 / 16 में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर खाता स0 14 / 16 के ख0न0 27 / 3 की 4.0090 हैक्ट भूमि व ख0न0 28 / 2 की 3.5790 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 307 / 2 की 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1.2650 हैकट भमि का प्रतिवादी स0 4 को` खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 66 / 66 की कुल 12.4190 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 377 / 1129 हिस्सा भूमि में से 3.795 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.352 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 28 / 30 की कुल 15.1760 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमी लन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:13:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जबरासर